

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/23659

दिनांक 26 मई, 2020


::आदेश ::

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप-9), विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.33 (2) गृह/ग्रुप-9/2019 जयपुर दिनांक 20.05.2020 (प्रति संलग्न) से निम्नांकित दुकानों को खोलने हेतु अनुमति प्रदान की गई है :-

1. मॉल में स्थित कार्यालय खुल सकते हैं, परन्तु कोई भी दुकान नहीं खुल सकती।
2. शैक्षणिक संस्थाएं (विद्यालय/महाविद्यालय, विश्व विद्यालय आदि) में कार्यालय केवल आवश्यक एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खुल सकते हैं, इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।

उपरोक्त दैनिक कार्यालयों में स्टॉफ क्षमता आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोन वार निर्धारित से अधिक नहीं होगी, चूंकि भीलवाड़ा रेडजोन में होने से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा वर्क फ्रॉम हॉम प्रोत्साहित किया जायेगा।

अतः इस संबंध में जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि जिले में दण्ड प्रक्रियाएं सहितां की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के तहत अनुमत गतिविधियों में उक्त वर्णित दुकानों को सम्मिलित किया जावे।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
02. संभागीय आयुक्त, अजमेर
03. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
04. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
05. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
06. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
10. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

414

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह/गुप-9/2019

जयपुर, दिनांक : 20.05.2020

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान


विषय : लॉकडाउन 4 के क्रियान्वयन आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्बन्ध में निम्न स्पष्ट किया जाता है :

1. मॉल में स्थित कार्यालय खुल सकते हैं, परन्तु कोई भी दुकान नहीं खुल सकती।
2. शैक्षणिक संस्थाएं (विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) में कार्यालय केवल आवश्यक एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खुल सकते हैं। इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।

उपरोक्त दोनों कार्यालयों में स्टाफ क्षमता आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोनवार निर्धारित से अधिक नहीं होगी, यानी रेड जोन में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं, ऑरेंज जोन में 66 प्रतिशत से अधिक नहीं एवं ग्रीन जोन में पूर्ण क्षमता तक। वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित किया जायेगा।

3. बिंदु संख्या 1 (2) -निषिद्ध गतिविधियों- के उप बिंदु संख्या (v) में शामिल "स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स" विलोपित किया जाता है। इस सम्बन्ध में गतिविधि इसी बिंदु के (3) (i) में उल्लेखित है।


(राजीव स्वरूप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उपमहानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

शासन सचिव, गृह